न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, किशनगंज।

सत्र वाद संख्या— 783/2013

सि0आई0एस नं0— 1600/2013

पोठिया (पहाड़कट्टा) थाना कांड संख्या— 52/2005

07.01.2026 अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दोनो अभियुक्तगण संजीला मुर्मू एवं मंजु पोरिया का दिनांक 29.10.2024 को बन्धपत्र रद्द किया गया है। अभियुक्तों के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। दिनांक 10.03.2025 को दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध प्रोसेस 82 द.प्र.स. निर्गत किया गया है। दिनांक 04.12.2025 को प्रोसेस 83 द0प्र0स0 निर्गत किया गया। इसके वावजूद भी अभियुक्तों को न तो सम्बन्धित थाना प्रभारी गिरफ्तार कर के न्यायालय मे प्रस्तुत किये है और न ही अभियुक्तगण स्वयं आत्म समर्पण किये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में अभियुक्तगण के इस वाद में उपस्थित होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण संजीला मुर्मू एवं मंजु पोरिया को फरार घोषित किया जाता है।

कार्यालय लिपिक अभियुक्तगण संजीला मुर्मू एवं मंजु पोरिया के विरूद्ध स्थाई अधिपत्र जारी करें।

ह0/—

(सुरेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
किशनगंज।
07.01.2026

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद के प्राथमिकी अभियुक्त मसुद रजा अनुसंधान के दौरान न तो गिरफ्तार किया जा सका और न ही उसने न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया। केस डायरी के पारा 221 से अवलोकन होता है कि जब पुलिस उसके घर की कुर्की हेतु गई तो पायी कि अभियुक्त महानन्दा नदी के बॉध के किनारे धर बनाकर रह रहा था तथा महानंदा नदी के बॉध का मारम्मी एवं चौड़ीकरण के कारण उसके घर को सरकार द्वारा हटा दिया गया है जिस कारण कुर्की योग्य कोई सामान नहीं मिला है। उसके पश्चात् पुलिस नें अभियुक्त शरीफ सरकार को अनुप्रेषित दिखाते हुये अभियुक्त मसुद रजा को फरार दिखाते हुये आरोप पत्र समर्पित किया। परन्तु विद्वान अनुण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज नें दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया तथा उनके विरूद्ध सम्मन एवं जमानतीय एवं गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया परन्तु अभियुक्तगण उपस्थित नहीं हुए तब उनके विरूद्ध धारा 82 द0प्र0स0 एवं धारा 83 द0प्र0स0 की प्रक्रिया निर्गत की गयी परन्तु पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर के अभियुक्तगण को प्रस्तुत नहीं किया गया और न अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुए। उसके पश्चात् विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज द्वारा पुलिस पेपर का कागजात संलग्न करते हुये वाद को दिनांक 28.01.2025 को सत्र

न्यायालय, किशनगंज को दौरा सुपुर्द्व कर दिया गया। सत्र न्यायालय में सत्र वाद दर्ज हुआ तथा वाद को विचारण तथा निष्पादन हेतु इस न्यायालय मे स्थानान्तरित कर दिया गया।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधान के क्रम से लेकर अब तक अभियुक्तगण के विरूद्ध दो बार सभी प्रक्रियाऍं निर्गत की जा चुकी है परन्तु अभियुक्तगण अभी तक न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में अभियुक्तगण के इस वाद में उपस्थित होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण मसुद रजा एवं शरीफ सरकार को फरार घोषित किया जाता है।

कार्यालय लिपिक अभियुक्तगण के विरूद्ध स्थाई अधिपत्र जारी करें।

ह0 / –

(सुरेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
किशनगंज।
05.06.2025